

भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
11 के.व्ही. विद्युत लाईन नरवट रेवडिया फाल्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य हेतु
(वनमण्डल खरगोन 0.99 हे.)

प्रस्ताव क्रमांक- FP/MP/VELEC/150503/2021

14.	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो, निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15.	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग- II में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ?	हाँ, सहमत है।
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खरगोन की अनुशंसा के आधार पर 0.99 हेक्टर वनभूमि आवेदक विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि - 30/01/2023

स्थान - खण्डवा

(आर.पी.राय)
मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा
30/01/23